


मु० न०:- 34 / 2021

तारीखरजू:- 23.2.21

उनवान:- रामवीर बनाम बनी वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
23.2.21	<p>वादी की ओर से श्री राजबहादुर मीना एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 राज०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (दुर्मा प्रसाद मीना)                      उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>
13.3.21	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेश चंद्रशर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 18.3.21 को पेश हो।</p>
18.3.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमपयप्रवारादि उपर। वकील प्रतिवादी जवाबदाव।  <del>समय जतना है समय दिया जाके</del>                      पत्रावली 15.4.21 को पेश हो।</p>
15.4.21	<p>वकूलाय उपर। जबाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है। अब समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 4.5.21 को पेश हो।</p>
27.7.21	<p>पत्रावली लाकडाइन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उपर। P.O. साहस्र इच्छा पर ही गतानुसार वास्ते जबाब दिनांक 27.8.21 को पेश हो।</p>
27.8	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी .....                      है। गतानुसार दिनांक ..... को पेश हो।</p>

895-901  
 24-2-21



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

25<sup>10</sup>/<sub>23</sub> वादी वकील/वकील उग्रय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...  
पत्रावली गतानुसार दिनांक...  
को पेश हो।

26<sup>12</sup>/<sub>23</sub> वादी वकील/वकील उग्रय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...  
पत्रावली गतानुसार दिनांक...  
को पेश हो।

9<sup>2</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। उग्रयपक्ष वकील उपस्थित  
उग्रयपक्षकारान वकील को बार-बार आवाजा देलवाके  
जाते के बावजूद उपस्थित न्यायालय रहने से वादी  
का दावा आवत खाई निवेद्याजा अदम दायरी किये  
पेकी खारीज किया जाता है।  
पत्रावली फॉयल सुमार नम्बर से रूक होकर  
दाखिल दफ्तर दी।

(85)